न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **42/2023**

प्रार्थीगण :–

1. दलपतसिंह पुत्र राणसिंह जाति राजपूत, निवासी सांई, तह. शेरगढ जिला जोधपुर।
2. लुम्बाराम पुत्र गोमाराम जाति दर्जी, निवासी कालाथल, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. जोगसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी सांई तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर ।
2. तगाराम पुत्र गोमाराम
3. आईदानराम पुत्र अमराराम
4. देवाराम पुत्र मलाराम
5. रावलराम पुत्र मलाराम
6. स्वरूपाराम पुत्र मलाराम
7. राजोदेवी पत्नी मालाराम सभी जातियान दर्जी, निवासी कालाथल, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
8. सरपंच ग्राम पंचायत नवातला तहसील पचपदरा
9. राजस्थान राज्य द्वारा जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्</u>

उपस्थित :–

1. **श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण ,**
2. **श्री माधोसिंह चारण, नरपतसिंह भाटी विप्रार्थीगण**

<u>'आदेश'</u> दिनांक 15.06.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:13 IST
Reason: SelfAttested

'संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ... मीजा कालाथल पटवार क्षेत्र नवातला तह. पचपदरा मे खसरा संत्र मूल 245 [illegible] के नये खसरा संख्या 863/717 रकबा 3.2375 हेक्टेयर व खसरा संख्या 862/717 रकबा 3.2375 हेक्टेयर, खसरा संख्या 864/717 रकबा 3.2375 हेक्टेयर, रकबा खसरा संख्या 865/717

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रकबा 3.2375 हेक्टेयर, खसरा संख्या 878/717रकबा 2.8328 हेक्टेयर, खसरा संख्या 879/717 रकबा 2.8328 हेक्टेयर, खसरा संख्या 716/245 रकबा 12.1406 हेक्टेयर, खसरा संख्या 717/245 रकबा 20.1533 हेक्टेयर अवस्थित रहा है, जिसमे से खसरा संख्या 862/717, 864/717 प्रार्थी सं. 01के खातेदारी का तथा खसरा संख्या 878/717 प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी का है शेष खसरान विप्रार्थीगण 1 ता 8 की खातेदारी के है, मलाराम पुत्र जोधाराम का देहांत हो चुका है हालांकि रेकड मे म्यूटेशन विप्रार्थी संख्या 4 ता 06 का नाम दर्ज नही हुआ है किन्तु प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से पक्षकार बनाया गया है क्योकि भूमि खसरा संख्या 716/245 रकबा 12.1406 हेक्टेयर पर कब्जा काश्त भी विप्रार्थी सं. 04 ता 06 का ही है, वर्तमान प्रकरण मे हिस्से सम्बन्धी कोई विवाद नही है, किन्तु खसरा संख्या 245 के उपर वर्णित तरमीमी तमाम खसरान की नक्शा मे की गई वर्तमान तरमीम को लेकर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के बीच विवाद की स्थिति है जिसे शुद्व करने का अनुतोष चाहा गया है । खसरा संख्या 717/245 की खतौनी मे राणारम, रूपो का नाम दर्ज है, किन्तु लाऔलाद फौत होने से विप्रार्थी संख्या 03 को पक्षकार बनाया गया है । उक्त आराजी मे नक्शा लट्टा ट्रेस नक्शा में एकपक्षीय व एकांकी, प्रार्थीगण की बिना जानकारी की गई तरमीम दुरूस्त कर मौके के कब्जे अनुसार तथा माफिक खतौनी परिशिष्ट ''अ'' के तरमीम दुरस्त की जाकर मूल खसरा के तमाम तरमीमी खसरान की तरमीम करवाने को निवेदन किया गया है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने दिनांक 28.03.20223 व विप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 ने दिनांक 10.4.2023 को आपसी राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । विप्रार्थी संख्या 7 ता 9 को जारी नोटिस बाद तामि[illegible] एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । विप्रार्थीगण [illegible] से सबंधित भूमियो के नक्शा लट्ठा ट्रेस मे [illegible] कब्जा काश्त दुरूस्त करने की सहमती प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र माफिक राजीनामा [illegible]वीकार करने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:13 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हमनें विद्वान अधिवक्ताओ की बहस को सुना और बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन करने के उपरान्त, प्रार्थीगण व विप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत माफिक राजीनामा,लोक भावना मध्यनजर रखते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। क्योकि उपरोक्त सभी भूमिया निजी खातेदारान की खातेदारी भूमिया है जिससे राजहित प्रभावित नही हो रहे है । अलावा इसके रेकर्ड मे कब्जे के विपरीत तरमीम रहने से मौके पर पक्षकारन के मध्य विवाद की स्थिति रहती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि ग्राम मौजा कालाथल पटवार क्षेत्र नवातला तह. पचपदरा मे खसरा सख्या मूल 245 जिसके नये खसरा संख्या 863/717 रकबा 3.2375 हेक्टेयर व खसरा संख्या 862/717 रकबा 3.2375 हेक्टेयर, खसरा संख्या 864/717 रकबा 3.2375 हेक्टेयर, रकबा खसरा संख्या 865/717 रकबा 3.2375 हेक्टेयर, खसरा संख्या 878/717रकबा 2.8328 हेक्टेयर, खसरा संख्या 879/717 रकबा 2.8328 हेक्टेयर, खसरा संख्या 716/245 रकबा 12.1406 हेक्टेयर, खसरा संख्या 717/245 रकबा 20.1533 हेक्टेयर मे माफिक राजीनामा से सम्बन्धित भूमियो के नक्शा लटठा ट्रेस मे की गयी तरमीम को माफिक कब्जा काश्त पक्षकारन खातेदारन की भूमी तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 05.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा